भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 129

25.11.2024 को उत्तर के लिए

नदियों में अपशिष्ट रिसाव

129. श्री बैत्री बेहनन:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शहरों से नदियों और जल निकायों में अपशिष्ट रिसाव के मुद्दे का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या योजना प्रस्तावित है; और

(ख) अपशिष्ट से ऊर्जा उद्योग के कार्य-निष्पादन में वृद्धि करने के लिए मिश्रित अपशिष्ट को अलग-अलग करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख):

कचरे और अपशिष्ट निपटान की समस्या के समाधान के लिए मंत्रालय ने वर्ष 2016 में ठोस एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों सहित सभी अपशिष्ट प्रबंधन नियमों में व्यापक संशोधन किया गया है। विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, शहरी स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों को अधिदेशित करने के साथ-साथ इन नियमों में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और शोधन सुविधा, अपशिष्ट से ऊर्जा प्रक्रिया, स्थल चयन आदि की स्थापना के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। जल निकायों के प्रदूषण की जांच के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, भू-खण्डों/जल निकायों में उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्टों के लिए मानकों का प्रतिपादन और अधिसूचना जारी करना, संचालन या प्रक्रिया; राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) द्वारा एक सहमति तंत्र के माध्यम से इन मानकों को लागू करना/संचालित करना और इनकी नियमित निगरानी करना; जल गुणवत्ता के आकलन के लिए निगरानी नेटवर्क की स्थापना करना; जल निकायों में अपशिष्ट के सीधे ही निस्तारण करने की जांच के लिए ऑनलाइन सतत अपशिष्ट निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) की स्थापना करना; स्वच्छ उत्पादन प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना; शहरों में मल-जल शोधन संयंत्रों की स्थापना करना; लघु औद्योगिक इकाइयों के समूह के लिए सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों की स्थापना करना, आदि शामिल हैं। इसके अलावा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, अपशिष्ट सृजनकर्ताओं को उनके द्वारा सृजित किए गए अपशिष्ट को तीन अलग-अलग तरीकों से अर्थात् जैव-अवक्रमणीय, गैर-जैव-अवक्रमणीय और घरेलू खतरनाक अपशिष्टों के रूप में उपयुक्त डिब्बों में अलग-अलग करना और संग्रहीत करना अनिवार्य है और समय-समय पर स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार या अधिसूचना के अनुसार प्राधिकृत कचरा बीनने वालों या अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को अलग-अलग अपशिष्ट को सौंपना अपेक्षित है। इसके अलावा, अपशिष्ट सृजनकर्ताओं को अपने परिसर के बाहर सड़कों, खुले सार्वजनिक स्थानों, नालियों या जल निकायों में ठोस अपशिष्ट फेंकना, जलाना या गड्ढों में दबाना प्रतिबंधित है।

*****